प्रेषक,

श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
जी0टी0 रोड,
कानपुर।

सेवा में,

प्रमुख सचिव, श्रम
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

पत्र संख्याः 886-87/प्रर्व–2018 दिनांकः 28, जून 2018

विषय : ईज आफ डूइंग बिजनेस के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्याः 1124/36-3-2018-01(सा0)/14टी0सी0, दिनांकः 26 जून 2018 द्वारा श्रम विभाग से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सुधारों के अन्तर्गत दुकान एवम् वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत किसी प्रतिष्ठान के पंजीकरण से पूर्व निरीक्षण की आवश्यकता को समाप्त किये जाने तथा आवेदन के दिनांक के 01 दिन के अन्दर पंजीकरण प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त के क्रम में यह अवगत कराना है कि विभाग द्वारा दुकान एवम् वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत पूर्णतया आन-लाइन व्यवस्था का सृजन कर लिया गया है, जिसके अन्तर्गत पंजीकरण के पूर्व कोई निरीक्षण की व्यवस्था नहीं है तथा पंजीकरण आवेदन के उपरान्त यथा आवश्यक तथ्यों की स्वतः जाँच के उपरान्त पंजीयन प्रमाण-पत्र आवेदनकर्ता को तत्काल ही वेबसाइट/ई-मेल पर प्राप्त हो जायेगा।

उपरोक्त से सम्बन्धित कार्यालय-ज्ञाप की प्रति संलग्न है।

भवदीय

27.6.2018

(अनिल कुमार)
श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्याः /प्रर्व–2018 दिनांकः जून 2018

प्रतिलिपि आयुक्त, अवस्थापना एवम् औद्योगिक विकास आयुक्त, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

(अनिल कुमार)
श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0टी0 रोड, कानपुर।

पत्र संख्याः 880-85 /प्रवि0-2018 दिनांकः 28, जून 2018

:: कार्यालय ज्ञाप ::

लेबर एक्ट मैनेजमेण्ट सिस्टम के अन्तर्गत दुकान एवम् वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत Ease of Doing Business को दृष्टिगत रखते हुए पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु प्राप्त आन-लाइन आवेदन-पत्रों के त्वरित निष्पादन हेतु प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया को निम्नवत् आटोमेटेड कर दिया गया है।

1. प्रक्रिया के तहत आवेदक द्वारा आन-लाइन आवेदन-पत्र भरकर एवम् आन-लाइन शुल्क जमा करने के उपरान्त प्रमाण-पत्र (Certificate) स्वतः जारी हो जायेगा।

2. उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आफ-लाइन ट्रेजरी चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है।

3. स्वतः जारी प्रमाण-पत्र का सत्यापन विभाग की वेबसाइट uplabour.gov.in के माध्यम से किया जा सकेगा।

यह प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

Anil 27.6.2018

(अनिल कुमार)
श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्याः 880-85 /प्रवि0-2018 दिनांकः 28 जून 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, श्रम एवम् सेवायोजन, उत्तर प्रदेश सरकार।
2. प्रमुख सचिव, श्रम, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वर्तमान प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राप्त एवम् लम्बित आवेदन-पत्रों को दो दिन में निस्तारित कराना सुनिश्चित करें।
5. उप श्रम आयुक्त, प्रवर्तन प्रभाग, मुख्यालय, कानपुर।
6. श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश शिविर।

Anil 27.6.2018

(अनिल कुमार)
श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

का0प्र0